



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 2016/आश्विन 11, 1938

No. 700]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2016/ASVINA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2016

सं. -57/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 948(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 94/96-सीमा शुल्क, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परंतुक के उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(क) भूटान के मामले में, मशीनरी और उपकरण [उनसे भिन्न जिनका निर्यात शुल्क मुक्त योजना (डीईईसी) या निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) या शुल्क अधिकार पासबुक योजना (डीईपीबी) के अंतर्गत निर्यातित किए गए हों] का उनके निर्यात के बाद 7 वर्ष के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो कि 3 वर्ष से अधिक न हो, जिसके लिए प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो के द्वारा पर्याप्त कारण बताने पर अनुमति दी गई हो, के भीतर पुनः आयात किया जाता है;

(कक) ऐसे अन्य सभी मामलों में, वस्तु [उन वस्तुओं से भिन्न जिनका निर्यात शुल्क मुक्त योजना (डीईईसी) या निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) या शुल्क अधिकार पासबुक योजना (डीईपीबी) के अंतर्गत निर्यातित किए गए हों] उनके निर्यात के बाद 3 वर्ष या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो कि 2 वर्ष से अधिक न हो, और

जिसके लिए प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क के द्वारा ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण बताने पर अनुमति दी गई हो, के भीतर पुनः आयात किया जाता है;

(कख) यदि वस्तुओं का निर्यात शुल्क मुक्त योजना (डीईईसी) या निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, या शुल्क अधिकार पासबुक योजना (डीईपीवी) के अंतर्गत निर्यातित वस्तुओं के मामले में, ऐसे वस्तुओं का इनके निर्यात के एक वर्ष या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो कि 1 वर्ष से अधिक न हो और जिसके लिए प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारण बताने पर अनुमति दी गई हो, के भीतर पुनः आयात किया जाता है।”

[फा.सं. 554/05/2015-एलसी]

टेम्सुनारो जमीर, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 94/96-सीमा शुल्क, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 को सा.का.नि. 569 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 13.09.2012, जिसे सा.का.नि. 687 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Excise And Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2016

No. 57/2016 - Customs

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.94/96-Customs, dated the 16th December, 1996, namely:

In the said notification, in first proviso for clause (a), the following clauses shall be substituted namely,-

- “ (a) in the case of Bhutan, the machinery and equipment [other than those exported under the Duty Exemption Scheme (DEEC) or Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG) or Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)] are re-imported from Bhutan within seven years after their exportation or within such extended period, not exceeding three years, as may be allowed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be, on sufficient cause being shown for the delay, allow;
- (aa) in all other cases, the goods [other than the goods exported under the Duty Exemption Scheme (DEEC) or the Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG) or Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)] are re-imported within three years after their exportation or within such extended period, not exceeding two years, as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be, on sufficient cause being shown for the delay, allow;
- (ab) in the case of goods exported under the Duty Exemption Scheme (DEEC) or the Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG), or Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB), re-importation of such goods takes place within one year of exportation or such extended

period not exceeding one more year as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be, on sufficient cause being shown for the delay allow.;

[F.No.554/05/2015-LC]
TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 94/96-Customs, dated the 16th December, 1996, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R (569)(E) dated the 16th December, 1996 and was last amended by Notification no. 52/2012-Customs, dated 13.09.2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.687 (E), dated 13th September, 2012.